निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 1013) पटना, शुक्रवार, 17 दिसम्बर 2021

विधि विभाग

---

**अधिसूचना**

**17 दिसम्बर 2021**

सं० एल०जी०–01–23/2021–6958/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**पी०सी०चौधरी,**
**सरकार के सचिव।**

**( बिहार अधिनियम 24, 2021 )**

**बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021**

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः–

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

**2. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–2 में संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–2 की उप धारा–(27) के बाद निम्नलिखित नयी उप धारा–(28) जोड़ी जायेगीः–

''दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित राजस्व नक्शा का सत्यापित वह भाग जो रैयतों के द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ संलग्न कर अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज की प्रक्रिया संचालित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार के नक्शा में रैयतों द्वारा हित अर्जित करने वाली भूमि का वह अंश जिसे दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, को स्पष्ट रूप से चौहद्दी के साथ रेखांकित किया जायेगा।''

**3. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–3 में संशोधन।**– उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–3 की उप धारा–(5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं जोड़ी जायेगीः–

(6) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्मित सर्वे खतियान एवं राजस्व नक्शा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् अधिकार अंतरण के प्रत्येक मामले के आधार पर दाखिल खारिज हेतु दायर की जाने वाली याचिका में सरकार द्वारा प्राधिकृत/सूचीबद्ध व्यक्ति/Empanelled एजेंसी द्वारा निर्मित On Scale नक्शा, जिसमें अधिकार प्राप्त भू–खण्ड तथा उसकी चौहद्दी रेखांकित हो, संलग्न की जायेगी।

(7) दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) तैयार करने के सक्षम व्यक्ति/एजेंसी सरकार द्वारा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार किये जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE (All India Council for Technical Education)/UGC/IIT/NIT द्वारा मान्यता प्राप्त Civil Engineering में डिप्लोमा/डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों का जिलावार पैनल सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा। सरकार दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) तैयार करने के सक्षम व्यक्ति/एजेंसी के पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के संबंध में समय–समय आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन कर सकेगी। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार के चयनित व्यक्तियों/एजेंसी के द्वारा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार किये जाने हेतु रैयतों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जायेगा।

(8) वैसे प्रतिष्ठान/अभ्यर्थी जिनका चयन दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार करने हेतु किया जायेगा, को जमीन की मापी हेतु E.T.S अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य आधुनिक उपकरण तथा मानचित्र तैयार करने हेतु विभाग द्वारा Digital Form में उपलब्ध कराये गये Software के अधिष्ठापन हेतु कम्प्यूटर/लैपटॉप रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थी/एजेंसी को डिजिटल Map को Edit करने का ज्ञान होना आवश्यक होगा। उक्त अभ्यर्थी/एजेंसी का दायित्व होगा की वे आवेदित Sketch Map/on the Scale Map तैयार करेंगे एवं सरजमीन का सत्यापन का कार्य करेंगे एवं राजस्व कार्यालयों के अन्तर–सम्बद्धीकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(9) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत निर्माणाधीन खतियान एवं राजस्व नक्शा के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के बीच यदि किसी रैयत द्वारा जमीन पर विभिन्न विलेखों के आधार पर हित अर्जित किया जाना पाया जाता है, तो अंचल अधिकारी प्रभावी सर्वे खतियान (Cadestral/ Revisional जो भी प्रभावी हो) के आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे, लेकिन विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत निर्मित खतियान/नक्शा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् इस प्रकार के परिवर्तन को डिजिटल फॉर्म में संधारित राजस्व नक्शा में आवश्यक परिवर्तन करना सुनिश्चित करेंगे।

**4. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–5 में संशोधन।–** उक्त अधिनियम की धारा–5 की उप धारा–4 के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा जोड़ी जायेगीः–

''4(क) रैयतों द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र समर्पित किये जाने के पश्चात् उसकी जांच राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के द्वारा की जायेगी तथा जांचोपरांत सही अथवा गलत पाये जाने पर उसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को अपने जांच प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित किया जायेगा।''

**5. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–5(5) में संशोधन।**–बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–5(5) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा–

'' यदि अंचल अधिकारी दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र एवं दाखिल खारिज प्रस्ताव से संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी की जांच पड़ताल से संतुष्ट नहीं हों, तो उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, वह स्वयं जांच कर सकेगा एवं अपना निष्कर्ष विहित रीति से अभिलिखित करेगा।''

**6.** बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–6(1) में संशोधन। अधिनियम की धारा–6(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''(1) राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी से दाखिल खारिज याचिका एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विहित रीति से अथवा अधिनियम की धारा–5(5) के अधीन स्वयं अपने द्वारा जांचोपरात उन व्यक्तियों जिसका होल्डिंग या उसके भाग में हित निहित हो के साथ जन साधारण से विहित रीति से दाखिल खारिज प्रस्ताव एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दाखिल खारिज मामलों का–

(क) अपने कार्यालय में होने वाले नियमित दाखिल खारिज न्यायालय अथवा

(ख) उस क्षेत्र के दाखिल खारिज मामलों के निपटारा हेतु जिस क्षेत्र में होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, आयोजित शिविर न्यायालयों में निपटारा करेगा।

(ग) वेबसाईट के माध्यम से दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र के साथ ऑनलाईन दाखिल खारिज याचिका अथवा निबंधन कार्यालयों से जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण की सूचना के आधार पर दाखिल खारिज की ऑनलाईन प्रक्रिया का सम्पादन इस निमित अधिसूचित अंचलों के अंचल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। निबंधन कार्यालयों से दस्तावेजों के पंजीकरण के समय दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र भी प्राप्त किया जायेगा एवं उसे संलग्न कर पंजीकृत दस्तावेज के साथ ऑनलाईन दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।''

**7. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–6(6) में संशोधन।** उक्त अधिनियम, 2011 की धारा– 6(6) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगाः– ''जिन मामलों में दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र के साथ दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है, उनमें अंचल अधिकारी अपने दाखिल खारिज आदेश को कार्यान्वित करने हेतु विहित प्रपत्र में शुद्धि पत्र एवं अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र निर्गत करेगा तथा याचिकाकर्ता को शुद्धि पत्र एवं अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र की प्रतियां उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही दाखिल खारिज की स्वीकृति एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र के अनुमोदन के पश्चात् अंचल कार्यालय में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 से संबंधित डीजिटल राजस्व नक्शा में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।''

**8. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–7 में संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा–7(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगाः– ''अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अथवा अंचल अधिकारी द्वारा अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र के विरूद्ध व्यथित पक्ष अंचल अधिकारी के आदेश/अनुमोदन की तारीख के तीस दिनों के भीतर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष अपील कर सकेगा।''

**9. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा–8 में संशोधन।** उक्त अधिनियम की धारा–8(2) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगाः– ''भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के दाखिल खारिज अपील वाद अथवा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र को अनुमोदित किये जाने के विरूद्ध व्यथित पक्ष, उस आदेश/अनुमोदन के तीस दिनों के भीतर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करेगा।''

**पी०सी०चौधरी,**
**सरकार के सचिव।**

**17 दिसम्बर 2021**

सं० एल०जी०—01—23/2021—6959/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा dated-15th December, 2021 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 24, 2021) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

**बिहार—राज्यपाल के आदेश से,**
**पी०सी०चौधरी,**
**सरकार के सचिव।**

**(Bihar Act 24, 2021)**

**The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2021**

AN

ACT

to amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-

1. **Short Title, Extent and Commencement.**-
   (1) This Act may be called the Bihar Land Mutation (Amendment) Act-2021
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Amendment in Section 2, of the Bihar Act 23, 2011.-** The following sub-section-28 shall be added after sub-section-(27) of section-2 of the said Act:-

   "The Pre-Mutation Revenue Sketch Map means a verified portion of the revenue map finally published on the basis of Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 and Rules, 2012 which shall be submitted by raiyats to Circle Officer of their region conducting the process of mutation enclosing the petition of mutation. The part of the land, acquiring interest by raiyats in such map which shall be submitted to the Circle Officer for mutation shall be demarcated clearly with boundary."

3. **Amendment in section-3 of the Bihar Act 23, 2011.** - The following sub-sections shall be added after sub-section-(5) of Section-3 of the said Act, 2011:-

   "(6) After final publication of Survey Khatian and Revenue Map made in view of provisions mentioned in Bihar Special Survey and Settlement Act-2011 and Rules 2012, on the basis of every case of right transfer, the On Scale Map made by the authorised/registered persons by the Government/Empanelled Agency in which authorised part of the land and their boundary are demarcated shall be enclosed with the petition to be filed.

(7) Competent Person/Agency for preparing Pre-Mutation Revenue Sketch Map- A districtwise panel of candidates having diploma/degree in Civil Engineering recognised by AICTE (All India Council for Technical Education)/UGC/IIT/NIT shall be prepared by the Government for making Pre-Mutation Revenue Sketch Map. The Government may from time to time alter in respect of the eligibility and educational qualification of Competent Person/Agency preparing Pre-Mutation Revenue Sketch Map as per need. The number of candidates to be included in the panel and the process of preparing panel shall be determined by the Government. The fees to be received from the raiyats for preparing Pre-Mutation Revenue Sketch Map by the Persons/Agency selected as such shall also be determined by the Government.

(8) Those establishment/candidates who will be selected for preparation of Pre-Mutation Revenue Sketch Map shall have to keep ETS or other modern equipments approved by the Department for measurement of land and computer/laptop for installing software to be made available in Digital Form by the Department for preparing map. Besides, selected candidates/ Agency should have the knowledge of editing Digital Map. Selected Candidates/Agency shall have the responsibility to prepare Sketch Map/on the scale Map applied and to verify the land on spot and will provide necessary co-operation for inter-connectivity of Revenue Offices.

(9) If acquiring interest is found on the basis of different deeds on land by any raiyat in-between Khatian preparation and draft publication and final publication of Revenue Map under Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011, the Circle Officer shall initiate action of land mutation on the basis of effective Survey Khatian (Cadestral/Revisions, whichever effective) under the Bihar Special Survey and Settlement Act-2011, but after the final publication of Khatian/Map prepared under Special Survey and Settlement Act, 2011 he shall ensure the necessary alteration in the Revenue Map maintained in digital form."

4. **Amendment in section-5 of the Bihar Act 23, 2011**. - The following sub-section shall be added after sub-section-(4) of section-5 of the said Act :-

"4 (a) After submitting Pre-Mutation Revenue Sketch Map alongwith the petition for Mutation by raiyats, it shall be inquired by the Revenue Karmachari and Revenue Officer and after enquiry, whether found right or wrong, it shall be forwarded to the Circle Officer with inquiry report for further action."

5. **Amendment in section-5(5) of the Bihar Act 23, 2011.-** Section 5(5) of the act shall be substituted by the following:-

"If the Circle Officer is not satisfied with the inquiry of Revenue Karmachari and Revenue Officer with regard to Pre-Mutation Revenue Sketch Map and Mutation Proposal, he may himself conduct inquiry in such manner as he deems fit and shall record his findings in prescribed manner."

6. **Amendment in Section-6(1) of the Bihar Act 23, 2011.**- Section-6 (1) of the said Act shall be substituted by the following:-

(1) The Circle Officer, on receipt of inquiry report from Revenue Karmachari and Revenue Officer in respect of the Mutation petition and Pre-Mutation Revenue Sketch Map or upon his own inquiry under Section-5 (5) of this Act, shall dispose of the mutation case in the prescribed manner after inviting objections in respect of Mutation Proposal and Pre-Mutation Revenue Sketch Map in the manner prescribed from persons having interest in the holding or the part thereof as well as general public in a-

(a) Regular mutation court held in his office; or

(b) In camp courts organised for the disposal of mutation cases of the area where the holding or a part thereof is situated.

(c) On the basis of information for Pre-Mutation Revenue Sketch Map along with online mutation petition through website or transaction through registration of documents relating to transer of land from the offices of registration, the process of disposal of online land mutation shall be done by the Circle Officers of the Circles notified in this behalf. At the time of registration of documents from the offices of registration, Pre-Mutation Revenue Sketch Map shall also be received and after enclosing this with registered documents it shall be made available to the Circle Office for Online Mutation.

7. **Amendment in Section 6(6) of Bihar Act 23, 2011.-** Section -6 (6) of the Act, 2011 shall be substituted by the following:-

"The cases in which mutation is allowed with pre-mutation Revenue Sketch Map, the Circle Officer shall issue a correction slip in prescribed form and approved Pre-Mutation Sketch Map and make available copies of correction slip and approved Pre-Mutation Revenue Sketch Map to the petitioner to implement his land mutation order. Alongwith this, after the admission of Mutation and approval of Pre-Mutation Revenue sketch Map, necessary amendment/alteration in digital Revenue Map related to the Bihar Special Survey and Settlement Act-2011 shall be done in Circle Office."

8. **Amendment in Section 7 of Bihar Act 23, 2011.-** Section-7(1) of the Act shall be substituted by the following:-

" The party aggrieved by the order of the Circle Officer or against Pre-Mutation Revenue Sketch Map approved by the Circle Officer shall appeal to Deputy Collector Land Reforms (DCLR) within 30 days from the date of order/approval."

9. **Amendment in Section 8 of Bihar Act 23, 2011.-** Section-8(2) of the Act shall be substituted by the following:-

"The Party aggrieved by the Deputy Collector Land Reforms (DCLR) Mutation Appeal Suit or Pre-Mutation Revenue Sketch Map being approved shall file an application before the Collector/Additional Collector within 30 days from the date of order/approval for revision. "

पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1013-**571**+**400**-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**